मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1212 भोपाल दिनांक 14 अगस्त 2019

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

विषयः–ई–अनुज्ञा पोर्टल में यूनिक पहचान क्रमांक MAN (Mandi Accounting Number) के उपयोग संबंधी।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1182–1183 दिनांक 31/07/2019 एवं पत्र क्रमांक/1186–1187 दिनांक 05 अगस्त 2019।

–0–

उल्लेखित विषय में आप अवगत ही हैं कि दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की समस्त 257 कृषि उपज मण्डी समितियों में एक साथ ई–अनुज्ञा पोर्टल का कियान्वयन किया जाना आरम्भ किया जा रहा है। जिसमें शतप्रतिशत ई–अनुज्ञा जारी किये जायेंगे।

ई–अनुज्ञा कियान्वयन अंतर्गत प्ररुप–दस, अनुज्ञा पत्र हेतु घोषणा पत्र को भरते समय जिस व्यापारी को उपज भेजी एवं बेची जा रही है के नाम के स्थान पर उस व्यापारी का अनुज्ञप्ति क्रमांक अर्जित करने हेतु प्रदेश के सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को एक यूनिक पहचान क्रमांक MAN (Mandi Accounting Number) प्रदान किया है। जिसका समावेश ई–अनुज्ञा पोर्टल में किया गया है। इसका लाभ यह होगा कि एक मण्डी से दूसरी मण्डी हेतु या एक ही मण्डी में एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी को जिन्सों के विकय हेतु MAN की प्रविष्टि करने से ई–अनुज्ञा पत्र पर व्यापारी की पूर्ण जानकारी स्वतः ही कम्प्यूटर के साथ साथ प्रदेश की सभी मण्डी समितियों को प्राप्त हो सकेगी। यह प्रकिया ई–अनुज्ञा सत्यापन में भी सहायक होगी। यह उल्लेखनीय है कि एम.पी. ऑनलाईन द्वारा जारी अनुज्ञप्ति वाले व्यापारियों को भी MAN प्रदान किया जा रहा है।

साथ ही ई–अनुज्ञा पोर्टल में मण्डी के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी का अनुज्ञप्ति क्रमांक दर्ज करने के साथ अनुज्ञप्ति क्रमांक/MAN की प्रविष्टि के लिये Search का Option प्राप्त होगा जिसमें अनुज्ञप्ति क्रमांक, व्यापारी का नाम, Mobil Number, फर्म का नाम से Search किये जाने पर संबंधित अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी का समस्त विवरण आपको दिखाई देगा, जिसको चयनित करते ही उक्त व्यापारी का समस्त ब्यौरा "प्ररुप–दस, अनुज्ञा पत्र हेतु घोषणा पत्र" में स्वतः ही प्रविष्ट हो जावेगा।

अतः उक्त MAN Number द्वारा प्रदेश अन्तर्गत व्यापार किये जाने हेतु इसका उपयोग किया जावे जिससे कार्य को और सुगमता से किया जाना संभव हो सकेगा।

(डॉ.केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1213 भोपाल दिनांक 14 अगस्त 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(03) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(04) संयुक्त संचालक (नियमन)/उप संचालक (वित्त/आडिट), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल